न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 03/2019

आर.सी.एम.एस. : 2019/00006

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
दानाराम पुत्र हीराजी जाति मेणा, निवासी जवाई टंकी के पास, जोजावर तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13/02/2020

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के राजस्व प्रकरण संख्या 01/2019 सरकार बनाम दानाराम में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2019 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि पटवारी हल्का जोजावर ने अपीलाण्ट को मौजा जोजावर के खसरा नम्बर 4667 रकबा 0.05 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन गौचर पर अतिक्रमी मानते हुए, टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष पेश की, जिस पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने प्रकरण संख्या 01/2019 दर्ज कर नोटिस जारी किया, जिस पर वह पेशी दिनांक 22.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। मातहत अदालत ने उसी दिवस अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से तथा अतिक्रमित आराजी से बेदखली के आदेश के साथ ही 100/– रूपये जुर्माना से भी दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, न ही जवाब पेश करने का अवसर दिया तथा न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध कारावास जैसा कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत पेश करने का पुरा अवसर दिये जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है। जैर अपील आराजी पर अपीलाण्ट ने कभी भी पूर्व में अतिक्रमण नहीं किया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए, तीन वर्ष के साधारण कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जो काबिल निरस्त है तथा उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश निरस्त फरमाया जावें। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1996 पेज संख्या 583, आर.आर.डी. 1996 पेज संख्या 585 एवं आर.आर.डी. 1996 पेज संख्या 480 पेश किए।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर पुर्व में संवत् 2074 में भी अतिक्रमण किया था, उक्त आराजी पर पुनः अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर हल्का पटवारी जोजावर द्वारा इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट की उपस्थिति में उसके विरूद्ध जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। अपीलाण्ट द्वारा वर्तमान में भी जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी ताईद तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन की मौका रिपोर्ट से होती है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एक आदतन अतिचारी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन की मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी जोजावर ने अपीलाण्ट दानाराम द्वारा मौजा जोजावर के खसरा नम्बर 4667 रकबा 0.05 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन गोचर की भूमि पर मकान बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने से टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष पेश की, जिस पर उन्होंने प्रकरण संख्या 01/2019 दिनांक 16.01.2019 को दर्ज करते हुए अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया, उक्त नोटिस की पालना में अपीलाण्ट दिनांक 22.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ, जिसकी ताईद मातहत अदालत की पत्रावली से होती है। इससे अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह तथ्य मानने योग्य नहीं है कि अपीलाण्ट को सुनवाई एवं जवाब पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। जैर अपील आराजी के संबंध में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2020/40 दिनांक 22.01.2020 के अनुसार अपीलाण्ट का जैर अपील आराजी पर आज भी अतिक्रमण निर्बाध रूप से जारी है तथा उस पर मकान बनाया हुआ है। इसकी ताईद में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने अपने पत्र के संलग्न हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट एवं संवत् 2076 के पी–14 की प्रति पेश की है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने जैर अपील आराजी से अतिक्रमण नहीं हटाया है तथा संवत् 2076 में भी उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एक आदतन अतिचारी है। जिससे जैर अपील आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के प्रकरण संख्या 1/2019 में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2019 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को निर्णय की प्रति उनकी मूल पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 13/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली